

थाना कैण्ट क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 27.09.2020 को आर्यन हास्पिटल में भर्ती मृतक महिला के शव के कान से कनफूल चोरी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व मालबरामदगी के सम्बन्ध में

दिनांक 27.09.2020 को आर्यन हास्पिटल में हुई घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 1236/20 धारा 404,411 भादवि के सम्बन्ध में अभियुक्तगणों द्वारा आर्यन हास्पिटल में स्वीपर का काम करते थे मृतक के शव को शील करते वक्त उनके कान के कनफूल को निकाल लिया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1236/20 धारा 404,411 भादवि का अपराध पंजीकृत हुआ था। इस घटना को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गम्भीरता से लेते हुए घटना के अनावरण एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया था श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में कई टीमों बनाकर कर लगायी गयी थी। जिसके क्रम में पूर्व में घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 अपराधियों को गिरफ्तार कर आज दिनांक घटना 30.09.2020 समय 09.20 बजे कूड़ाघाट तिराहे के पास अभियुक्तगणों 1. शाहजाँ अली उर्फ सलमान पुत्र लालचन अली निवासी बंतीपुर गरेमारा पातर थाना बरपेटा जनपद जपद बरपेटा असम हा0 मु0 कुड़ाघाट थाना कैण्ट जनपद 2. धुरमुस अली पुत्र बारेक अली निवासी मुरशेख गन्दी थाना का सुम्बरा जनपद बरपता असम हा0मु0 कुड़ाघाट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से एक जोड़ी कनफूल के साथ दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. शाहजाँ अली उर्फ सलमान पुत्र लालचन अली निवासी बंतीपुर गरेमारा पातर थाना बरपेटा जनपद जपद बरपेटा असम हा0 मु0 कुड़ाघाट थाना कैण्ट जनपद
2. धुरमुस अली पुत्र बारेक अली निवासी मुरशेख गन्दी थाना का सुम्बरा जनपद बरपता असम हा0मु0 कुड़ाघाट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

अभियोग:-

मु0अ0सं0 1236/20 धारा 404,411 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमा राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 कमलेश कुमार यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 कृष्णा यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 परशुराम मिश्रा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर